# <u>निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</u>

पत्रॉक /बा0वि0परि0/योजना/2016–17, दिनॉक : जनवरी, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

**विषयः "हौसला पोषण योजना फीडिंग कार्यकम" के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अति कुपोषित बच्चों हेतु पी0सी0डी0एफ0 द्वारा की जा रही घी आपूर्ति की दरों में संशोधन के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–68/2016/3355/60–2–16/3(01)/12टीसी–III, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–67/2016/2819/60–2–16/3(01)/12टीसी–III, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 द्वारा 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को भोजन के मैन्यू के अर्न्तगत दिये जा रहे "20 ग्राम प्रतिदिन" देशी घी के स्थान पर "20 मिली लीटर प्रतिदिन" किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या–1885/60–2–16–2/3(01) /12 टीसीII, दिनांक 17 जून, 2016 के प्रस्तर–3.5(3) में त्रुटिवश "पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले देशी घी पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अन्य दरों पर की जायेगी" अंकित हो गयी है, के स्थान पर "पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले देशी घी की 500 मिली लीटर पैकेट की लागत 207.01 एवं 01 लीटर पैकेट की लागत रूपये 407.28 होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को भोजन के मैन्यू के अर्न्तगत दिये जा रहे "20 ग्राम प्रतिदिन" देशी घी के स्थान पर **"20 मिली लीटर प्रतिदिन"** तथा "पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले **देशी घी की 500 मिली लीटर पैकेट की लागत 207.01 एवं 01 लीटर पैकेट की लागत रूपये 407.28 होगी।**

( आनन्द कुमार सिंह )
निदेशक।